शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्राथता.

राज मुक्ल. विशेष निदेशक माठ शिक्षा।

सवा में

केन्द्रीय माध्यमिक जिला बार्ट, शिक्षा कर्य २ कम्युनिटी संटर नई दिल्ली 110392

्षट्या, दिनावा

N.O.C.

rimanayan Residential School, Umairabad, Arwal को अनापति प्रमाण-पत्र के सबंध में।

उपयुक्त विषय के संबंध में निवंशानुसार कहना है कि Himalayan Residential School, Umairabad, Arwal की अञ्चलि जनाण पत्र हिने का सबस न तका विद्यालय क प्राचार्य / सचिव / विद्यालय प्रथम द्वारा स्थालका कराये गये कार्यपालक रणवादिकारी के समझ रिटरे गड गपथ पत्र के साथ संलग्न उपता विद्यालय के अमिलेखा / कामाजाती जो समीका विभाग की गहन समित द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की विधान किया प्रकार पाई गई

यह विद्यालय कामेश्वर सिंह एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईट के अधीन संचालित है। इस ्रस्ट में किसी एक व्यक्ति / प्रतिवार का प्रमुख नहीं है। सोसाइटी के प्रत्यक सदस्य का ब्यास दिया गण र ताज समय प्रा भी दिशा भाग है।

विद्यालय प्रवेतक द्वारी किसी अन्य नियासत सीसीइटा / न्यास क प्रान्धाईजी अवत विस् विद्यालय के बांड मंत्र व्यवयोग नहीं करने का दाया किया है।

ं विद्यालय इसे 62 एकड 05 डि0 भूमि 30 वर्ष के लीज पर लयलड़ा है। विद्यालय में उपकार ुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध है। कन्द्रीय माध्यानिक शिक्षा बीर्ड को स्थल निशेशन कर वह सुनिश्चित करमा होगा कि विद्यालय की आधारमूत संरदना एवं सुविधाएं बार्ड के मानक के अनुस्य है

विद्यालय में शिसक यो नियुक्ति समावार पत्र में विज्ञापन निकालकर विहित प्राप्तिया के वर्ष किया गया है। विसालय में 18 शिक्षक हैं। सीए बीए एसए ईए, नई दिल्ली को यह सुनिहिन्द करना होगा कि शिक्षकों की बोग्यता प्रजिक्षण सद्दीय अध्यापक दिशा परिषद के भावतण्डों के अनुरूप अथवा नहीं।

विद्यालय में हिन्दी अभिवार्थ रूप से पढ़ाएं जाने का दाल किया गया है।

विद्यालय द्वारा निर्वारित, शुल्की वार्षिक लेखा अकलाण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ध साईलनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कारबेंद्र करे इस सीट के एस0 ईं0 नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7 , विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहगति दी गयी है कि उसे विभागीय खोजनवन संस्था-238, दिनाक 04 04 2006 में उत्लोखित अपेक्षित तर्री स्वीकार है।





अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत नि शुक्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुक्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुक्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलाग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी अव प्रतिवर्ष ₹2,00,000/- (दो लाख रूपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नसंशि /केंंग जींग अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा / साक्षारकार (बच्चों एवं माला / पिता सिंहत) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम ने नामांकन के लिए बच्चों का चर्चन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी / कं0जी0 तथा प्रश्वमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चा का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हें अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवंदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।
- 8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्सों को पूरा करने के सबंध में शपथ पड़ के माध्यम से दावा किया गया है फिर भी सीठ बीठ एसठ ईंठ, नई दिल्ली अपने स्तर से जींच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर सच्चालित है।
- 9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति क अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्लों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्ट्स एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंधन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रदद करने की कार्रवाई की जायेगी।
- 10 विभागीय पत्रांत-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षाक / छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जान संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।
- ा विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियत्री बदादिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्लों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णसानुसार Himalayan Residential School, Umairabad, Arwal को सीठ बीठ एसठ ईठ नई दिल्ला स सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/-(राज मुकुल) विशेष निदेशक मा० शिक्षा।

ापाक.

पटना, दिनाक 2013

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रवित ।

विशेष निदेशक, मां शिक्षा।

जापाक 649

पटना दिनांक 30/6/ 2013

प्रतिलिपि : प्राचार्य, Himalayan Residential School, Umairabad, Arwal के सम्भार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



